निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सानी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 585/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. श्री प्रदीप कुमार पारीक पुत्र श्री गोकुल शरण पारीक,
2. श्री रमेश कुमार पारीक पुत्र श्री गोविन्द शरण पारीक,
3. श्री रामकिशोर पारीक पुत्र श्री गोविन्द नारायण पारीक

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी 408, गेटोर रोड, ब्रह्मपुरी, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
2. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री मोहन लाल करोल,
3. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामकिशन करोल,
4. श्री रामकिशन पुत्र श्री जयनारायण करोल,
5. श्री मोहन लाल पुत्र श्री जयनारायण करोल,

समस्त जाति मीना, निवासियान ग्राम बाढ़ करोलान, गेटोर जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

6. राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
7. श्री सुबोध कुमार पारीक पुत्र श्री गोकुलशरण पारीक,
8. श्री महेश कुमार पारीक पुत्र श्री गोविन्द शरण पारीक,

प्रोफार्मा अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 84/2025 ब–उनवानी लक्ष्मी देवी व अन्य बनाम सरकार व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

1. श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री बंशीधर जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से।

निर्णय दिनांक 08.09.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 84/2025 ब–उनवानी लक्ष्मी देवी व अन्य बनाम सरकार व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जगतपुरा, जिला जयपुर से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 की ओर से अभिभाषक श्री बंशीधर जाट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत दुरस्ती अंतर्गत धारा 136 राजस्व भूमि अधिनियम व–उनवानी लक्ष्मी देवी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य प्रस्तुत किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में प्रोफार्मा अप्रार्थी क्रम संख्या 7 (प्रार्थना पत्र/प्रकरण संख्या 84/2025 में अप्रार्थी संख्या 3) को सम्मन नोटिस की तामील पूर्ण व विधिक रूप से नहीं करवायी गई है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय को मौखिक रूप से निवेदन किया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व्य. प्र. सं. प्रार्थना पत्र बाबत दुरस्ती अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मृत्त व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत करने से अवेट होने के कारण खारिज करने तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज दिलवाए जाने के लिए प्रस्तुत किया था। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनने के उपरांत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य व न्यायिक विनिश्चयों को किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 आपस में रिश्तेदार है। पीठासीन अधिकारी शीघ्र से शीघ्र निर्णय कर कृषि भूमि अप्रार्थीगण के नाम कर देना चाहते है। पीठासीन अधिकारी प्रकरण में मृतक व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारी को रिकॉर्ड पर लिए बिना ही निर्णय करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 पीठासीन अधिकारी के कार्यालयमें आकर बैठ जाते है और साथ में ही खाना पीना व आना जाना रहता है। अप्रार्थीगण द्वारा ऐलानिया कहते है कि पीठासीन अधिकारी हमारे रिश्तेदार है तथा इस कृषि भूमि को हम हमारी इच्छा अनुसार प्रकरण प्रस्तुत कर निस्तारण करवाकर रहेंगे। पीठासीन अधिकारी कानून की आड़ में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए ही प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान के विरूद्ध प्रकरण में अनुचित कार्यवाही कर नुकसान करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना

जिला कलेक्टर
जयपुर

पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है कि प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाता है, तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, परंतु न्याय किया जा रहा है, ऐसा लगना भी चाहिए, अतः न्यायहित में मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 84/2025 ब–उनवानी लक्ष्मी देवी व अन्य बनाम सरकार व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर को स्थानान्तरित किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल होवे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर